

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएफएस

प्रकरण सं० : 277/2020

1. कैलाश चंद पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।

:- वादीगण

व न म

1. रेशमा पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।
2. शोमवती पुत्री गिश्वाशी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।
3. काशीराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त० भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा अग्रोहा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसव भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पवन सिंहाग एवं श्री भानूप्रताप सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा में वर्णित भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. हिस्सा वादीगण कैलाशचन्द्र, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान रणसिंह जाति जाट साकिन लाखनवास:- रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 65 के किला न० 1, 9, 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 12 की 0.240 है०, किला न० 13/1 की 0.038 है०, किला न० 13/2 की 0.190 है०, किला न० 8/3 की 0.07 है०, मु० न० 66 के किला न० 3 ता 8 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 9/1 की 0.355 है०, किला न० 10/1 की 0.355 है०, किला न० 11 ता 15 ~~की~~ की 1.265 है० व मु० न० 67 के किला न० 5, 6, 15 प्रत्येक की 0.253 है० कुल कित्ता 24 कुल रकवा 5.100 है० वारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में कवूतरी रंग के अनुसार।
2. हिस्सा प्रतिवादीया सं० 1 रेशमा पत्नी बंशीलाल जाति जाट साकिन लाखनवास:- रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 62 के किला न० 16 की 0.253 है०, मु० न० 66 के किला न० 1 व 2 प्रत्येक 0.253 है०, किला न० 9/2 की 0.2175 है० व किला न० 10/2 की 0.2175 है० कुल कित्ता 5 कुल रकवा 1.194 है० वारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में संतरी रंग के अनुसार।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा




3. हिस्सा प्रतिवादीया सं० 2 सोमवती पुत्री गिरधारी जाति जाट साकिन
लाखनवास:- रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं०
347/31 के मु० न० 64 के किला न० 22 ता 24 प्रत्येक की 0.
253है०, किला न० 25/1 की 0.63है०, मु० न० 65 के किला न० 2
व 3 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 4/1 की 0.152है०, किला न०
8/1 की 0.025है०, किला न० 8/2 की 0.195है० कुल किता 9
कुल रकबा 1.700है० बारानी कृषि भुमि मुताबिक नक्शा में गुलाबी
रंग के अनुसार।

4. हिस्सा प्रतिवादीय सं० 3 काशीराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट
साकिन गढीछानी:- रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं०
347/31 के मु० न० 62 के किला न० 25 की 0.253है०, मु० न० 64
के किला न० 21 की 0.253है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.506है०
बारानी कृषि भुमि मुताबिक नक्शा में काले रंग के अनुसार।

चूंकि : प्रतिवादीया का सं० 2 सोमवती आईसीआईसीआई शाखा अग्रोहा
के रहन है। इसलिए रहन भूमि यथावत् रखा जाकर खाता व लगान
अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में
उक्तानुसार दर्ज की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ०४-०१-२०२१ को मेरे
हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सह (सत्यनारायण) सहायक
(फास्ट ट्रेक) भादर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 277/2020

1. कैलाश चंद्र पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।

:- वादीगण

ब न म

1. रेशमा पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।
2. सोमवती पुत्री गिरधारी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी लाखनवास त० भादरा।
3. काशीराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त० भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा अग्रोहा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट


उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग - वादी

निर्णय

दिनांक : 08-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 62 के किला न० 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 64 के किला न० 21 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 25/1 की 0.063 है०, मु० न० 65 किला न० 1 ता 3 प्रत्येक की 0.253 है०, 4/1 की 0.152 है०, किला न० 8/1 की 0.025 है०, किला न० 8/2 की 0.202 है०, किला न० 9 ता 11 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 12 की 0.240 है०, किला न० 13/1 की 0.038 है०, किला न० 13/2 की 0.190 है०, मु० न० 66 के किला न० 1 ता 15 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 67 के किला न० 5, 6, 15 प्रत्येक की 0.253 है० कुल कित्ता की कुल 8.5000 है० कृषि भूमि में वादीगण के नाम से 3/5 हिस्सा, प्रतिवादीया सं० 1 रेशमा का 1.194 है०, प्रतिवादीया सं० 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 काशीराम के नाम से 0.506 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन वाद भूमि का खाता संयुक्त होने के कारण वाद भूमि के कब्जा काश्त, सीव डोल व अन्य लगान इत्यादि की बाबत अकसर तनाजा होते रहते हैं। जिसे रफा करने के लिए वादीगण वाद भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से उसके हिस्से व


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

कब्जा के अनुसार मुताबिक कब्जा काशतानुसार खाता व लगान अजल अलग करवाने का अधिकारी है।

वादीया के कब्जा काशत की भूमि में लाखों रूपये लगाकर भूमि को वादीगण द्वारा समतल व उपजाऊ बनाया गया है तथा वर्तमान में भी उक्त खसरों में वादीगण का ही कब्जा काशत किया हुआ है। इसी अनुसार वादीया उक्त कृषि भूमि मुताबिक कब्जा काशत अनुसार अपना खाता तकसीम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद भूमि में प्रतिवादीया का सं० 2 सोमवती आईसीआईसीआई शाखा अग्रोहा से ऋण लेकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है जो प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार खाता विभाजन के बाद ऋण यथावत् रखा जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने आपसी राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 4 व 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।


बहस वकील वादीगण सुनी गई। मुताबिक राजीनामा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पटवार हल्का जोगीवाला पटवारी द्वारा अच्छी, मंदी व कब्जा काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज प्रस्तुत नहीं होने के कारण दावा वादीगण अन्तिम डिग्री किया जाता है वर्णित भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. हिस्सा वादीगण कैलाशचन्द्र, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान रणसिंह जाति जाट साकिन

लाखनवास:- रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 65 के किला न० 1, 9, 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 12 की 0.240 है०, किला न० 13/1 की 0.038 है०, किला न० 13/2 की 0.190 है०, किला न० 8/3 की 0.007 है०, मु० न० 66 के किला न० 3 ता 8 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 9/1 की 0.0355 है०, किला न० 10/1 की 0.0355 है०, किला न० 11 ता 15 प्रत्येक की 1.265 है० व मु० न० 67 के किला न० 5, 6, 15 प्रत्येक की 0.253 है० कुल कित्ता 24 कुल रकबा 5.100 है० बारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में कबूतरी रंग के अनुसार।।

2. हिस्सा प्रतिवादीया सं० 1 रेशमा पत्नी बंशीलाल जाति जाट साकिन

लाखनवास:- रोही मोजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 62 के किला न० 16 की 0.253 है०, मु० न० 66 के किला न० 1 प्रत्येक 0.253 है०, किला न० 9/2 की 0.2175 है० व किला न०



28
साहायक कलक्टर
(फारस्ट ट्रेक) भादिस

10/2 की 0.2175 है 0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.194 है 0 वाराणी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में संशरी रंग के अनुसार।।

3. हिरसा प्रतिवादीया सं० 2 सोमवती पुत्री गिख्याणि जाति जाट साकिन लाखनवास- रोही मौजा चक 11 जेजीडक्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 64 के किला न० 22 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न० 25/1 की 0.063 है 0, मु० न० 65 के किला न० 2 व 3 प्रत्येक की 0.253 है 0,, किला न० 4/1 की 0.152 है 0, किला न० 8/1 की 0.025 है 0, किला न० 8/2 की 0.195 है 0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.700 है 0 वाराणी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में गुलाबी रंग के अनुसार।

4. हिरसा प्रतिवादीय सं० 3 काशीराम पुत्र दीवानसिंह जाति जाट साकिन गढीछानी- रोही मौजा चक 11 जेजीडक्यू के खाता सं० 347/31 के मु० न० 62 के किला न० 25 की 0.253 है 0, मु० न० 64 के किला न० 21 की 0.253 है 0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.506 है 0 वाराणी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में काले रंग के अनुसार।

चूंकि : प्रतिवादीया का सं० 2 सोमवती आईसीआईसीआई शाखा अग्रोहा के रहन है। इसलिए रहन भूमि यथावत् रखा जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार दर्ज की जावे। पर्या डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहा (सहायक कलक्टर)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़